कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 285/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 22.07.2026

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
विक्षिप्त पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 20.07.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी 24 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ (विक्षिप्त) बहन को एक अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर घर के पास बनी मड़ई में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 270/2026 धारा 64(2)(K) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान दिनांक 21.07.2026 को निरीक्षक अपराध अखिलेश शुक्ल मय पुलिस टीम क्षेत्र में मौजूद थे। ग्राम भगवानपुर स्थित अभियुक्त के घर पर दबिश देकर देवेन्द्र कुमार पुत्र सुधिराम, निवासी ग्राम भगवानपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को समय करीब 14:45 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 270/2026, धारा 64(2)(K) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- देवेन्द्र कुमार पुत्र सुधिराम, निवासी ग्राम भगवानपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

निरीक्षक अपराध अखिलेश शुक्ल, हे0का0 राहुल सिंह यादव, का0 कृष्ण कुमार मिश्रा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
हत्या के प्रयास के मामले में दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया है।

दिनांक 19.07.2026 को वादी मुकदमा ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी पुत्र स्व. राजेश्वर त्रिपाठी निवासी ग्राम रघुनाथपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि सहन की भूमि के कब्जे को लेकर अभियुक्तगण अमन, अर्पित, मुकेश एवं निशा निवासीगण ग्राम रघुनाथपुर ने उनके चाचा राजमणि तिवारी पर हत्या करने की नीयत से फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 184/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

आज दिनांक 22.07.2026 को उपनिरीक्षक मयंक कृष्ण उपाध्याय मय पुलिस टीम मुकदमे से संबंधित अभियुक्त अर्पित तिवारी एवं निशा तिवारी ग्राम रघुनाथपुर गेट के पास ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दोनों अभियुक्तों को समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त अर्पित तिवारी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद फावड़ा बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण कर दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अर्पित तिवारी पुत्र मुकेश तिवारी, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम रघुनाथपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
2. निशा तिवारी पत्नी मुकेश तिवारी, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम रघुनाथपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त एक अदद फावड़ा।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 184/2026, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय, का0 कृष्णचन्द्र, रि0का0 अमीष जायसवाल, रि0का0 योगेन्द्र प्रजापति, रि0म0का0 स्वाती सिंह, रि0म0का0 मेनका जायसवाल थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

इंस्टाग्राम के माध्यम से हुयी ₹35,000 की साइबर ठगी की पूरी धनराशि पीडित को वापस दिलाई गई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में थाना मुबारकपुर की साइबर टीम एवं जनपद साइबर सेल के संयुक्त प्रयास से साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को **₹35,000** की पूरी धनराशि वापस दिलाई गई।

दिनांक 15.11.2025 को शिकायतकर्ता राहत अली पुत्र बदरुद्दीन, निवासी ग्राम पुरा रानी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के पास एक अज्ञात साइबर ठग ने इंस्टाग्राम पर उनके मित्र की फर्जी आईडी बनाकर स्वयं को विदेश में फंसा होने तथा तत्काल पैसों की आवश्यकता होने की बात कही। मामले को वास्तविक समझते हुए शिकायतकर्ता ने बिना पुष्टि किए ₹35,000 संबंधित खाते में स्थानांतरित कर दिए। बाद में जानकारी होने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं।

पीड़ित द्वारा इस संबंध में एनसीआरपी (NCRP) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी शिकायत संख्या 33111250162347 है। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना मुबारकपुर की साइबर टीम एवं जनपद साइबर सेल द्वारा त्वरित एवं नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक एवं अन्य माध्यमों से समन्वय स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित के **₹35,000** सफलतापूर्वक वापस कराए गए।

आजमगढ़ पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति द्वारा धनराशि मांगने पर पहले उसकी पहचान एवं जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल **1930 हेल्पलाइन** अथवा **NCRP पोर्टल** पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर धनराशि वापस कराई जा सके।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीम-

उ0नि0 विधनेश वर्मा, रि0का0 विवेक कुमार चौहान, म0का0 प्रियंका तिवारी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 22.07.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा चोरी के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए **अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 7 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।**

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 07 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

➡ दिनांक-**20.09.2024** को वादी मुकदमा श्री लालचन्द गुप्ता पुत्र स्व0 रामबचन गुप्ता निवासी पाण्डेय बाजार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा घर के मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घूसकर 10000/-रुपये नगद व मंगलसूत्र सहित सोने की कीमती सामान चुरा ले जाना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-524/2024 धारा-331(4),305,317(2),317(4) BNS पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक-22.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 07 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।**